

न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : विकाश शुक्ला)

व्यवहारवाद प्रकरण क्र0 82ए/2015

फाईल. क्र. 230301058562015

संस्थापित दिनांक- 06.11.2015

श्रीमती सीमादेवी पत्नी स्व. रोशनसिंह
भदौरिया उम्र-27 वर्ष जाति ठाकुर धंधा
कृषि निवासी ग्राम पीपरी वृत्त पीपरी
तहसील व जिला भिण्ड

..... वादी

वि रू द्ध

1. श्रीमती सीता भदौरिया पत्नी स्व. इंद्रपाल सिंह भदौरिया उम्र-51 वर्ष निवासी ग्राम पीपरी वृत्त पीपरी तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड

.....प्रतिवादीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 22 फरवरी 2017 को पारित किया गया)

1. यह वाद पटवारी हल्का रमपुरा ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 0.110 हेक्टेयर में से 0.21 आरे (अत्र पश्चात वादग्रस्त भूमि) के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रय पत्र दिनांक 24.7.2013 को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. वादपत्र के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में से हिस्सा 0.21 आरे का वादी का पति रोशन सिंह स्वामी एवं आधिपत्यधारी था तथा उससे वादी ने स्त्रीधन से मृतक रोशन सिंह से 95,500 रुपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 के माध्यम से कय की और उस पर कृषि कार्य कर रही है। रोशन सिंह शराब पीने का आदी था, जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उसे वश में करके बिना प्रतिफल के वादग्रस्त भूमि का फर्जी बयनामा दिनांक 24.07.2013

को करा लिया। दिनांक 14.8.2015 को प्रतिवादी क्रमांक 1 उसकी पुत्री अर्चना के साथ वादग्रस्त भूमि पर आई और बोली कि इस भूमि पर उसका नामांतरण है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है। दिनांक 24.8.2013 को प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण भी स्वीकार हुआ है, जिसकी अपील विचारणीय है तथा धारा 145 द.प्र.स. की कार्यवाही भी विचारणीय है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने एवं उस पर कब्जा करने की धमकी दी है। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र दिनांक 24.7.2013 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने लिखित कथन में वादपत्र के अभिवचन को सारतः अस्वीकार करते हुये अभिवचन किया है कि उसे ग्राम पीपरी स्थित सर्वे क्रमांक 1420 में रोशन सिंह के स्वत्व एवं आधिपत्य का सर्वे क्रमांक 1420 में हिस्सा 0.21 आरे क्षेत्रफल होना स्वीकार है। वादी ने उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 दिखावटी है, यदि उक्त विक्रय पत्र किया गया होता तो वादी ने नामांतरण कराया होता और रोशन सिंह प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 क्यों निष्पादित करता। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिफल अदा करके वादग्रस्त भूमि को क़य किया है और कब्जा प्राप्त किया है। राजस्व न्यायालय में चली कार्यवाहियों के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि उसने 3,75,000/- रुपये में विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 के माध्यम से क़य की है। वादग्रस्त भूमि पर उसका नामांतरण एवं आधिपत्य है। प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा क़य किये गये क्षेत्रफल का नायब तहसीलदार द्वारा वाद प्रस्तुत होने के पूर्व बटवारा का बटांकन कर सर्वे नम्बर 1420/1 रकवा 0.21 का प्रतिवादी क्रमांक 1 का पृथक खाता कर उसे भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भी विधिवत वाद प्रस्तुत होने के पूर्व प्रदान की जा चुकी है। वादी को प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में हुए नामांतरण को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कराने का कोई अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का विक्रय पत्र के दिनांक से मौके पर कब्जा है एवं उसके द्वारा कराई गई आलू की फसल खड़ी है। इसके अलावा प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में जो विक्रय पत्र संपादित हुआ है, उसका प्रतिफल 3,75,500/-रुपये जिसे देखते हुए कार्य विभाजन के अनुसार इस न्यायालय को वाद श्रवण करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार भी प्राप्त नहीं है। साथ ही सर्वे क्रमांक 1420 में बटवारा होने के पूर्व अन्य सह-खातेदार रहे हैं जिन्हें इस प्रकरण में पक्षकार न बनाये जाने से प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने से भी वाद प्रचलन योग्य नहीं है। विक्रय पत्र के अनुसार वादी को न्याय शुल्क संदाय करना चाहिये था। वादी द्वारा राजस्व न्यायालय में एवं व्यवहार न्यायालय में एक साथ कार्यवाही किये जाने से भी वाद प्रचलन योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद सारहीन होने से मय व्यय एवं विशेष हर्जे सहित निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 2 एक पक्षीय है।

5. उभयपक्ष के अभिवचन एवं दस्तावेजों के आधार पर मामले के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न उद्भूत हैं, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित हैं:-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में से 0.21 आरे पर वादी का विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 के माध्यम से स्वत्व एवं आधिपत्य है ?	साबित नहीं।
2	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत है?	साबित नहीं।
3	क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से विक्रय करने हेतु प्रयासरत है?	साबित नहीं।
4	क्या विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2013 वादी के मुकावले शून्य एवं निष्प्रभावी है?	साबित नहीं।
5	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया है?	उचित मूल्यांकन किया है।
6	क्या वादी ने वाद पत्र पर पर्याप्त न्यायालय शुल्क चरपा नहीं किया है?	पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है।
7	क्या प्रतिवादी धारा 35 ख सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादी से बीस हजार रुपये विशेष क्षति पूर्ति प्राप्त करने का पात्र है?	साबित नहीं।
8	अनुतोष एवं खर्चे ?	वाद सव्यय खारिज।

निष्कर्ष एवं उनके आधार

वाद प्रश्न क्रमांक --: 1 व 4 --:

6. उभयपक्ष की ओर से उक्त वाद प्रश्नों के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. वादी सीमादेवी वा.सा.1 का कथन है कि पटवारी हल्का रमपुरा ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में से

0.21 आरे क्षेत्रफल उसने मृतक रोशन सिंह से दिनांक 12.10.2006 को 95,000/- में कय कर अजय सिंह व सुरेश सिंह के समक्ष विक्रय पत्र प्र.पी.1 निष्पादित कराया है तथा उसी समय से उक्त भूमि पर वह कृषि कार्य कर रही है। रोशन सिंह शराब पीने का आदी था, जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अर्चना के साथ मिलकर रोशन को शराब पिलाकर बिना प्रतिफल दिये विक्रय पत्र दिनांक 24.7.2013 प्र.पी.2 के माध्यम से सर्वे क्रमांक 1420 में क्षेत्रफल 0.21 आरे का बयनामा साक्षीगण सतेन्द्र सिंह एवं अर्चना के समक्ष करा लिया है और राजस्व कागजात में इंड्राज करा लिया है। उसने प्रकरण में खसरा प्र.पी.3 एवं खतौनी प्र.पी.4 प्रस्तुत की है।

8. अजबसिंह वा.सा.2 का कथन है कि पटवारी हल्का रमपुरा ग्राम पीपरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में उसका आधा हिस्सा है तथा मृतक रोशन सिंह का हिस्सा 0.21 आरे था जिसे रोशन सिंह ने दिनांक 12.10.2006 को वादी को विक्रय पत्र प्र.पी.1 जिस पर उसके हस्ताक्षर है, के माध्यम से 95,000 रुपये में विक्रय कर दिया था और वादी उस पर कृषि कार्य कर रही है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बिना आधार के फर्जी रूप से मृतक रोशन सिंह से बयनामा दिनांक 24.8.2013 को कराकर नामांतरण करा लिया है।

9. सुरेश सिंह वा.सा.3 का कथन है कि मृतक रोशन सिंह ने दिनांक 10.12.2006 को सर्वे नंबर 1420 में क्षेत्रफल 0.21 आरे का बयनामा 95,500 रुपये में वादी सीतादेवी के हक में निष्पादित किया था तथा सीतादेवी उस पर कृषि कार्य कर रही है। विक्रय पत्र प्र.पी.1 पर उसने एवं अजब सिंह ने हस्ताक्षर किये थे। वर्ष 2015 में सीतादेवी ने आकर वादग्रस्त भूमि पर विवाद किया और कहा कि उसने रोशन के हिस्से का बयनामा करा लिया है।

10. प्रतिवादी सीतादेवी प्र.सा.1 का कथन है कि उसने रोशन सिंह से दिनांक 23.7.2013 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्र.डी.3 के माध्यम से ग्राम पीपरी स्थित सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.10 हेक्टेयर में से रोशन सिंह का हिस्सा 0.21 आरे 3,75,000 रुपये में कय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त विक्रय पत्र पर सतेन्द्र व अर्चना ने गवाही के हस्ताक्षर किये थे। विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात रोशन सिंह के स्थान पर उसका नामांतरण हुआ। उसके द्वारा कय की गई भूमि पर उसका कब्जा है। उसने ग्राम पीपरी के खसरा वर्ष 2014-15, आराजी क्रमांक 1420 तीन पृष्ठों में है, की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी. 1, ग्राम पीपरी के खसरा वर्ष 2014-15, आराजी क्रमांक 1420/मिन 2 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.2 विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.3 जिसके ए से ए भाग पर उसका पुत्र फोटो व हस्ताक्षर है एवं बी से बी भाग पर रोशन सिंह की फोटो व हस्ताक्षर है, न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त पीपरी के प्रकरण क्रमांक 34/15-16 अ-27 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी. 4 तथा ग्राम पीपरी की नामांतरण पंजी वर्ष 2012-13 में क्रमांक 13 पर रोशन सिंह की जगह पर उसका नामांतरण हुआ की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.5 प्रस्तुत की है। भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका

क्रमांक एनएन 757888 प्र.डी.6 है।

11. अर्चना प्र.सा.2 का कथन है कि उसके व सतेन्द्र सिंह के समक्ष रोशन सिंह ने प्रतिवादी गीता को ग्राम पीपरी के सर्वे क्रमांक 1420 से अपने हिस्से में 0.21 हेक्टेयर का बयनामा प्र.डी.3, 3,75,000 रुपये में निष्पादित किया और भूमि का कब्जा सीता प्र.सा.1 को सौंप दिया। सीतादेवी का उक्त भूमि पर नामांतरण हो चुका है।

12. उभयपक्ष की ओर से किये गये अभिवचन और प्रस्तुत साक्ष्य से इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि मृतक रोशन सिंह के द्वारा प्र.पी.1 का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में तथा प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) का विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.2 एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.3 एक ही दस्तावेज है।

13. वाद पत्र के अभिवचन के अनुसार विवादित सर्वे क्रमांक 1420 में से मात्र 0.21 आरे भूमि का ही मृतक रोशन सिंह स्वामी एवं आधिपत्यधारी था तथा वादी के द्वारा उक्त भूमि विक्रय पत्र प्र.पी.1 के माध्यम से मृतक रोशन सिंह से क्रय की गई थी। इस प्रकार वादी के अनुसार मृतक रोशन सिंह के पास विवादित सर्वे क्रमांक में मात्र 0.21 आरे भूमि ही उसके स्वामित्व की थी, जिसे उसने वादी को विक्रय कर दिया। अर्थात् विक्रय पत्र प्र.पी.1 के निष्पादन के समय मृतक रोशन सिंह के पास मात्र 0.21 आरे भूमि ही थी तथा निष्पादन के पश्चात सर्वे क्रमांक 1420 में कोई क्षेत्रफल मृतक रोशन सिंह के पास शेष नहीं बचा था।

14. वादी का यह भी अभिवचन है कि जो भूमि मृतक रोशन सिंह ने उसे विक्रय पत्र प्र.पी.1 के माध्यम से विक्रय की, उसी भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने मृतक रोशन सिंह को शराब पिलाकर अपने वश में करके बिना प्रतिफल के दिनांक 24.7.2013 को विक्रय पत्र प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) निष्पादित करा लिया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 का यह अभिवचन है कि उसने सर्वे क्रमांक 1420 में से रोशन सिंह का हिस्सा 0.21 आरे विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) के माध्यम से क्रय किया है। इस प्रकार वादी के द्वारा किये गये उपरोक्त अभिवचन से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा जिस भूमि के संबंध में स्वत्व की घोषणा इस वाद के माध्यम से चाही है, वह वही भूमि है, जो मृतक रोशन सिंह से प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विक्रय पत्र प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) के माध्यम से क्रय की है।

15. उपरोक्त उभयपक्ष के अभिवचन से इस मामले में महत्वपूर्ण विवाद यही है कि क्या प्र.पी.1 के विक्रय के निष्पादन के समय मृतक रोशन सिंह विवादित सर्वे क्रमांक में से मात्र 0.21 हेक्टेयर भूमि का स्वामी था अथवा मृतक रोशन सिंह 0.42 हेक्टेयर भूमि का स्वामी था और विवादित सर्वे क्रमांक में से 0.21 हेक्टेयर भूमि का वादी के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र प्र.पी.1 के

निष्पादन के पश्चात दिनांक 23.7.2013 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में प्र.पी. 2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) के माध्यम से 0.21 हेक्टेयर भूमि का विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करते समय उक्त भूमि मृतक रोशन सिंह के पास शेष थी या नहीं।

16. विक्रयपत्र प्र.पी.1 जो कि वादी के स्वत्व का आधार है, के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से रोशन सिंह ने वादी के पक्ष में ग्राम पीपरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.10 हेक्टेयर हिस्सा क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर में से 0.21 हेक्टेयर भूमि वादी को विक्रय की। उक्त तथ्य विक्रय पत्र के पृष्ठ क्रमांक 2 पर दो बार अंकित है तथा उक्त विक्रय पत्र रोशन सिंह एवं वादी सीमादेवी के मध्य निष्पादित एवं हस्ताक्षरित होना पूर्णतः अविवादित है। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र प्र.पी.1 से यही दर्शित हो रहा है कि जब यह विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 को निष्पादित किया गया था, उस समय विवादित सर्वे क्रमांक 1420 में विक्रेता मृतक रोशन सिंह का हिस्सा 0.42 हेक्टेयर था तथा मृतक रोशन सिंह ने अपने हिस्से 0.42 हेक्टेयर में से मात्र 0.21 हेक्टेयर भूमि ही वादी के पक्ष में विक्रय की थी।

17. उपरोक्त विक्रय पत्र प्र.पी.1 के विपरीत वादी ने इस वाद में यह अभिवचन किया है कि जब विक्रय पत्र प्र.पी.1 का निष्पादन हुआ, उस समय मृतक रोशन सिंह मात्र 0.21 हेक्टेयर भूमि का ही स्वामी था तथा उक्त भूमि प्र.पी.1 के विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय करने के पश्चात मृतक रोशन सिंह के पास विवादित सर्वे क्रमांक 1420 में से कोई भूमि शेष नहीं बची थी तथा उक्त अभिवचन को साबित करने का भार वादी पर था, परंतु वादी सीमादेवी वा.सा.1 के द्वारा इस मामले में मात्र मौखिक रूप से उपरोक्त के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत की है। वादी की ओर से उक्त अभिवचन के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की कि जब उसे विक्रय पत्र प्र.पी.1 के माध्यम से मृतक रोशन सिंह ने सर्वे क्रमांक 1420 में से 0.21 हेक्टेयर भूमि विक्रय की, तब मृतक रोशन सिंह के पास मात्र यही भूमि थी और अन्य कोई भूमि नहीं थी, जबकि वादी के द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिये विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 के समय के या उसके पूर्व के मृतक रोशन सिंह के स्वत्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकते थे। वादी ने तत्संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने का कोई कारण भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्र.पी.1 के अविवादित विक्रय पत्र से यह स्पष्ट है कि मृतक रोशन सिंह विवादित सर्वे क्रमांक 1420 के क्षेत्रफल 1.10 हेक्टेयर में से 0.42 हेक्टेयर का स्वामी था और उसने वादी को 0.42 हेक्टेयर में से मात्र 0.21 हेक्टेयर भूमि विक्रय की, तब वादी का यह अभिवचन साबित नहीं माना जा सकता है कि मृतक रोशन सिंह विक्रय पत्र प्र.पी.1 के निष्पादन के समय 0.21 हेक्टेयर भूमि का ही स्वामी था।

18. इस मामले में वादी ने स्वत्व की घोषणा उस भूमि पर चाही है, जो मृतक रोशन सिंह ने प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की थी। प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर

प्रस्तुत की गई है, वह इस संबंध में विश्वसनीय है कि मृतक रोशन सिंह ने विक्रय पत्र प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) के माध्यम से विवादित सर्वे क्रमांक 1420 में से 0.21 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 सीतादेवी को विक्रय की थी। वादी के द्वारा विक्रयपत्र प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) को मात्र इस आधार पर चुनौती दी थी कि मृतक रोशन सिंह शराबी था तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उसे शराब पिलाकर वश में करके बिना प्रतिफल के विक्रय पत्र प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) को निष्पादित करा लिया। वादी सीमा वा.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 16 में यह स्वीकार किया है कि उसके पति की जून 2015 में मृत्यु हुई। यह अविवादित है कि रोशन सिंह वादी सीमा का पति था और उसी ने विक्रय पत्र प्र.पी.02 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) निष्पादित किया, परंतु रोशन सिंह के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक से लेकर मृत्यु दिनांक के पूर्व कभी भी उपरोक्त तथ्यों को कही पर चुनौती दी हो, ऐसे कोई तथ्य वादी के अभिवचन एवं साक्ष्य में नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित है कि मृतक रोशन सिंह ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को स्वस्थचित्त अवस्था में प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय पत्र प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) निष्पादित किया है और विक्रयपत्र के परिवर्णन (रेसाइटल) से भी प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय पत्र निष्पादित करने का तथ्य प्रकट होता है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय पत्र प्र.पी.2 (विक्रय पत्र प्र.डी.3) के माध्यम से विक्रय की गई जिस भूमि के संबंध में स्वत्व की सहायता चाही है, वह भूमि उपरोक्त विवेचन से वह भूमि नहीं है, जो मृतक रोशन सिंह ने विक्रय पत्र प्र.पी.1 के माध्यम से वादी को विक्रय की थी।

19. वादी ने वाद पत्र के पद क्रमांक 6 में वादकारण उत्पन्न होने के संबंध में यह अभिवचन किया है कि दिनांक 14.8.2015 को वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर प्रतिवादी असमाजिक तत्वों एवं अर्चना के साथ आई और बोली कि उक्त भूमि पर वादी का अधिकार नहीं है तथा उसने बयनामा निष्पादित करा लिया है, तब उसे न्यायालयीन कार्यवाही करने के लिये विवश होना पड़ा, परंतु प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 16 में स्वयं वादी सीमा वा.सा.1 ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 14.8.2015 को उसकी सीता भदौरिया व अर्चना से कोई बातचीत हुई। इस प्रकार वादी के द्वारा जिस वाद कारण के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया, उस वाद कारण को ही वादी ने इंकार कर दिया है।

20. उपरोक्त विवेचन के आधार पर साक्ष्य की अधिसंभावना की प्रबलता को दृष्टिगत रखते हुये वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में से 0.21 आरे (जो भूमि विक्रय पत्र प्र.पी.2/प्र.डी.3 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की गई) पर वादी का विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2006 के माध्यम से स्वत्व है।

21. जहां तक वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से यह साबित नहीं हुआ है कि ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में से 0.21 आरे (जो भूमि विक्रय

पत्र प्र.पी.2/प्र.डी.3 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की गई) पर वादी का विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2006 के माध्यम से स्वत्व है, तब उक्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना भी नहीं माना जा सकता। वादी सीमा वा.सा.1 ने ही वादग्रस्त भूमि का खसरा वर्ष 2014-15 प्र.पी.3 प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से यह प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि पर अन्य सहखातेदारों के साथ 0.21 हेक्टेयर पर प्रतिवादी सीता का संयुक्त आधिपत्य है। अतः उपरोक्त के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में से 0.21 आरे (जो भूमि विक्रय पत्र प्र.पी.2/प्र.डी.3 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की गई) पर वादी का आधिपत्य है।

22. उपरोक्त समग्र साक्ष्य विवेचन के आधार पर यह साबित नहीं हुआ है कि ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में से 0.21 आरे (जो भूमि विक्रय पत्र प्र.पी.2/प्र.डी.3 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की गई) पर वादी का विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2006 के माध्यम से स्वत्व है तथा मृतक रोशन सिंह द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में विक्रय पत्र प्र.पी.2 (प्र.डी.3) निष्पादित किया जाना अविवादित है, तब विक्रय पत्र दिनांक 24.7.2013 को वादी के स्वत्वों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होना भी नहीं माना जा सकता। अतः यह साबित नहीं है कि विक्रय पत्र दिनांक 24.7.2013 वादी के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है।

23. उपरोक्त समग्र साक्ष्य विवेचन के आधार पर वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से साक्ष्य की अधिसंभावना की प्रबलता को दृष्टिगत रखते हुये वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में से 0.21 आरे (जो भूमि विक्रय पत्र प्र.पी.2/प्र.डी.3 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की गई) पर वादी का विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2006 के माध्यम से स्वत्व एवं आधिपत्य है तथा विक्रय पत्र दिनांक 24.7.2013 वादी के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 1 व 4 निराकृत किये जाते हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक -:: 2 व 3 ::-

24. वाद प्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्ष के आधार पर यह साबित नहीं हुआ है कि ग्राम पीपरी जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टेयर में से 0.21 आरे (जो भूमि विक्रय पत्र प्र.पी.2/प्र.डी.3 के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की गई) पर वादी का विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2006 के माध्यम से स्वत्व एवं आधिपत्य है तथा वादी सीमा वा.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 16 में इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 14.8.2015 को उसकी सीता भदौरिया व अर्चना से कोई बातचीत हुई, जबकि उक्त आधार पर ही वादी ने उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करना अभिवचन में बताया था, तब यह भी नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने तथा अवैध रूप से

वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु प्रयासरत है। अतः यह साबित नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने तथा अवैध रूप से वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु प्रयासरत है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 2 व 3 निराकृत किये जाते हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक -:: 5 व 6 ::-

25. वादी ने वाद पत्र के पद क्रमांक 11 के अनुसार वादग्रस्त भूमि को कृषि भूमि बताते हुये उसके लगान 26 रुपये 29 पैसे का 20 गुना 525 रुपये के आधार पर स्वत्व घोषणा हेतु 500 रुपये तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 600 रुपये मूल्यांकन करते हुये स्वत्व घोषणा हेतु 500 रुपये तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 100 रुपये न्यायालय शुल्क अदा किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी द्वारा किये गये मूल्यांकन एवं अदा किये गये न्यायालय शुल्क को उचित न होना बताया है, परंतु तत्संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है। वादी द्वारा यह वाद स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का विक्रय पत्र दिनांक 24.7.2013 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है तथा वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि भूमि के आधार पर वाद का मूल्यांकन किया है, जो कि वाद मूल्यांकन अधिनियम तथा न्यायालय शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उचित एवं पर्याप्त दर्शित है। अतः यह साबित नहीं है कि वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया है और उस पर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 5 व 6 निराकृत किये जाते हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक -:: 7 ::-

26. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी से बीस हजार रुपये विशेष क्षतिपूर्ति की मांग की है, परंतु वादी के द्वारा यह वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादी के पति मृतक रोशन सिंह ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त संपत्ति विक्रय नहीं की थी, बल्कि बिना प्रतिफल के एवं शराब पिलाकर वश में करके रोशन सिंह के विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया था और स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2013 को शून्य घोषित कराने की सहायता हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। यद्यपि वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त संपत्ति पर उसका स्वत्व एवं आधिपत्य है तथा प्रतिवादी वादग्रस्त संपत्ति पर उसके आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने तथा वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय करने हेतु प्रयासरत है, परंतु यह नहीं माना जा सकता कि वादी के द्वारा आधारहीन वाद प्रस्तुत किया गया है। जब वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आधारहीन होना प्रकट नहीं है तब प्रतिवादी क्रमांक 1 को बीस हजार रुपये विशेष क्षतिपूर्ति भी दिलाया जाना न्याय संगत नहीं है और वह किसी भी विशेष खर्च प्राप्त करने का पात्र नहीं है। अतः यह साबित नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में वादी से बीस हजार रुपये प्राप्त करने के पात्र है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 7 निराकृत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक -:: 8 ::-

27. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के आधार पर साक्ष्य की अधिसंभावना की प्रबलता को दृष्टिगत रखते हुये वादी वांछित सहायता हेतु प्रस्तुत यह वाद साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में वादी वांछित सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। परिणामतः वाद स्वीकार योग्य न होने से निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है :-

1. वादी का वाद खारिज किया जाता है।
2. वादी स्वयं का एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का वाद व्यय वहन करेगी।
3. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर वाद मूल्य के अनुसार की राशि पर अनुसूची अनुसार न्युनतम सीमा तक जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

निर्णय आज दिनांक- 22.02.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
भिण्ड (मध्यप्रदेश)